पेपर लीक होने के कारण गरीब आदिवासी बच्चे और परिवार पर क्या गुजरती होगी? : डॉ.पूनियां

'नौकरी पाने के लिये आदिवासी बच्चे मेहनत-मजदूरी कर कोचिंग करते हैं, जब परीक्षा देने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया'

वागड़ क्षेत्र के प्रवास पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने डूंगरपुर जिले के चौरासी विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश सभा को संबोधित किया।

- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी
- 'भाजपा की सरकार बनने पर गुजरात की तरह राजस्थान को हर क्षेत्र में विकसित करेंगे'

चौरासी/डूंगरपुर/जयपुर। वागड़ क्षेत्र के प्रवास पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने डूंगरपुर जिले के चौरासी विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, सांसद कनकमल कटारा, प्रदेश मंत्री कन्हैयालाल मीणा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अल्का मूंदड़ा, डूंगरपुर जिला प्रमुख सूर्या अहारी, विधायक फूलसिह मीणा, अमृतलाल मीणा, सीमलवाडा प्रधान कारीलाल ननोमा, गलियाकोट प्रधान जयप्रकाश पारगी, सागवाडा प्रधान ईश्वर चरपोटा, डूंगरपुर जिलाध्यक्ष प्रभु पण्डया, तलवाड़ा प्रधान निर्मला मकवाना इत्यादि सहित भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा।

सतीश पूनियां ने जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए कहा कि, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, हर कबीले ने, हर कुटुंब ने, हर जाति ने खूब संघर्ष किया, पसीना बहाया और अपने खून का बलिदान भी दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि 55 सालों तक कांग्रेस पार्टी के पंजे ने राज किया और उस पंजे ने ऐसा इतिहास लिखाया, जिसमें यह कहा कि आजादी के योगदान में जनजाति का कोई योगदान नहीं था, कांग्रेस का यह षडयंत्र दुर्भाग्यपूर्ण है। काली बाई भील की शहादत तो पढ़ते, नानाभाई खाट के बलिदान की शहादत का सम्मान करने का पता लगता, जनजाति के लोगों ने हिंदुस्तान के लिए कितना संघर्ष किया था। कांग्रेस भूल जाती है कि मानगढ़ की घाटी पर मानगढ़ की चोटियों पर गोविंदगुरु के नेतृत्व में 1500 साहसी भील भाई अंग्रेजों की तोपों के आगे शहीद हो गए, उन लोगों ने अपने सर कटा लिए, लेकिन झुकाए नहीं, भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए।

उन्होंने कहा कि मैं इस आदिवासी क्षेत्र में बहुत बार आता हूं, सबसे पहले बांसवाड़ा के उपचुनाव में आया था, तब मैं देखता था आदिवासी भाई किस तरीके से कैरोसिन तेल के लिए संघर्ष करता था, राशन के लिए संघर्ष करता था, आदिवासी नौजवान नौकरी के लिए संघर्ष करता था, आदिवासी भाई रोजगार के लिए संघर्ष करता था, मुझे इस बात की खुशी है कि, मैं ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसमें स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत जैसे जनकल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाले मुख्यमंत्री ने आदिवासी नौजवानों को 45 प्रतिशत आरक्षण देकर जनजाति के नौजवानों को रोजगार की दिशा में लगाया।

पूनियां ने कहा कि आपने मुझे इतना जो मान-सम्मान दिया है, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं, राजस्थान का नक्शा बड़ा है, उसके नक्शे के पड़ोस में गुजरात खड़ा है तो मेरा सपना और संकल्प है कि भाजपा की सरकार बनने पर गुजरात की तरह राजस्थान को हर क्षेत्र में विकसित करेंगे, जिससे आदिवासी भाई बहन को राजस्थान में ही रोजगार देकर उनका उत्थान करेंगे, गुजरात की तरह राजस्थान में भी उद्योगों को बढ़ावा देकर राजस्थान में भी रोजगार के अनेकों अवसर पैदा करेंगे और हम प्रतिबद्ध हैं कि आदिवासी को उनके क्षेत्र में ही रोजगार मिले, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं आपके दरबार में आया हूं तो यह संकल्प लेकर आया हूं, यह भरोसा देने के लिए आया हूं कि राजस्थान की विधानसभा 23 जनवरी से जुड़ेगी, इस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ूंगा, आपकी बात विधानसभा में मजबूती से रखूंगा। कांग्रेस शासन में राजस्थान में भ्रष्टाचार इस कदर है कि औसतन हर 12 किलोमीटर पर कोई ना कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है।

किसी गरीब आदिवासी का बच्चा मजदूरी मेहनत कर कोचिंग करता है और नौकरी की उम्मीद में जब परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचता तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उस परिवार और बच्चे पर क्या गुजरती होगी, जिसका कोई भाई गुजरात में नौकरी करके अपने छोटे भाई को अरमान के साथ पढ़ाता है, कोई बाप मजदूरी करके अपने बच्चे के मास्टर बनने का सपना देखता है, यह नकल, चीट, लीक का जो षड्यंत्र किया, उससे राजस्थान के तमाम नौजवानों ने सुसाइड कर लिया।

'एंडोस्कोपी से पेट में लगेंगे चंद टांके और कम हो जाएगा मोटापा'

जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में इंडियन सोसायटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरॉलजिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ''प्रोग्रेस इन गैस्ट्रोएंटरॉलजिस्ट एंड हेपिटोलॉजी'' किताब का विमोचन किया गया।

- पहले दिन विशेषज्ञों ने मोटापे को कम करने की अत्याधुनिक तकनीकें बताई।
- गैस्ट्रोएंटरॉलजी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉ. रमेश रूप राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया।

जयपुर,(कासं)। मोटापे से जूझ रहे लोगों को अब तक दर्द भरी जटिल सर्जरी करानी पड़ती थी। सर्जरी के बाद भी कुछ दवाइयां और सावधानियां जीवनभर चलती थी, लेकिन अब नई तकनीकों से बिना कोई चीरफाड़ के वजन कम हो जाता है। मरीज इस प्रक्रिया के एक दिन बाद ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपना सामान्य जीवन जी सकता है। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में इंडियन सोसायटी ऑफ गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी की ओर से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आईएसजीकॉन-2023 में देश-विदेश से आए एक्सपर्ट्स ने यह जानकारी दी।

कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सीनियर गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. रमेश रूप राय ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में तीन हजार से अधिक एक्सपर्ट्स भाग ले रहे। गुरुवार को उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में अमिताभ बच्चन स्वास्थ सबंधित कारणों से शामिल नहीं हो सके। आयोजन सचिव डॉ. संदीप निझावन ने पहले दिन हेपेटाइटिस बी, लीवर सिरोसिस व लीवर फेलियर जैसी कई बीमारियों के इलाज की नई तकनीकों के बारे जानकारी साझा की। ट्रेजरार डॉ. मुकेश कल्ला और जॉइंट सेक्रेटरी डॉ. अनुराग गोविल ने बताया कि उद्घाटन सत्र में पद्मभूषण डॉ. शिव सरीन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉ. रमेश रूप राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रोग्रेस इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपिटोलॉजी किताब का विमोचन किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

चेन्नई के डॉ. बीएस रामाकृष्णन ने बताया कि मोटापे के साथ मरीजों को डायबिटीज, बीपी, जोड़ों में दर्द और खर्राटे की भी शिकायत होती है। जिनका बीएमआई 30 से ज्यादा होता है, उनके लिए मोटापा कम करना बेहद जरूरी होता है। अभी तक लाइफ स्टाइल में सुधार कर या बैरियाट्रिक सर्जरी द्वारा पेट को कम किया जाता था। इस सर्जरी के बाद मरीज को उम्रभर विटामिन के इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन नई एंडोस्कोपी स्लीव गेस्ट्रोप्लास्टी (ईएसजी) द्वारा इसी तरह का काम बिना किसी चीरफाड़ के किया जाता है। इसके लिए मरीज के पेट में दूरबीन द्वारा टांके लगाकर पेट का आकार छोटा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया होने के एक दिन बाद ही मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। इससे मरीज अपना 18 से 20 प्रतिशत वजन कम कर सकता है।

जे.एल.एफ.में गूंजेगी सशक्त महिलाओं की आवाज़

जयपुर, (का.सं.)। आइकोनिक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 19 से 23 जनवरी, को होटल क्लार्क्स आमेर, जयपुर में होगा। इस साल, अपने 16वें संस्करण में, फेस्टिवल में उल्लेखनीय लेखिकाओं की कलम के रंग बिखरेंगे।

फेस्टिवल के कई महत्वपूर्ण सत्र लेखिकाओं की उपलब्धि को समर्पित होंगे, जिनमें उनके लेखन के माध्यम से उनके सफ़र को बुना जायेगा। एक विशेष सत्र, फीमेल गेज़ पर आधारित होगा। जब कोई कथानक किसी महिला के नज़रिए से लिखा जाता है, तो वो कैसे दूसरे से भिन्न होता है? ये 'फीमेल गेज़' महिलाओं को पोर्ट्रेट करने का नजरिया बदल देता है और वो महज एक 'वस्तु' से ऊपर उठ पाती है। इस सत्र में शामिल होने वाले वक्ता है एमिली पर्किन्स, यूजेनिया कुजनेत्सोवा, एना फिलोमिना अमराल और ताध्या मैक डोंने। इनसे संवाद करेंगी लेखिका सस्क्या जैन। सत्र में, ये वक्ता महिला नजरिये से लेखन के सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनैतिक निहितार्थों की व्याख्या करेंगे।

बुकर प्राइज विजेता बेर्नार्दिन एवारिस्तो का संस्मरण, मेनिफेस्टो: ऑन नेवर गिविंग अपउनके संघर्षमय जीवन की कहानी कहता है।

अनिल अंबानी जमानती वारंट से तलब

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-1 जयपुर जिला ने श्रम न्यायालय के अवार्ड की पालना नहीं करने से जुड़े मामले में उद्योगपति और मैसर्स बीएसईएस लि., मुंबई के प्रबंध संचालक अनिल अंबानी के खिलाफ पांच सौ रुपए का जमानती वारंट जारी किए है। अदालत ने आरोपी को 21 मार्च को तलब किया है। अदालत ने यह आदेश शंभू सिंह के दावे पर सुनवाई करते हुए दिए।

प्रकरण के अनुसार शंभू सिंह ने श्रम न्यायालय में दावा पेश कर कहा था कि वह कंपनी के जयपुर स्थित कार्यालय में कार्यालय सहायक के पद पर तैनात था। कंपनी ने 12 जून 1997 को उसे बिना कारण बताए हटा दिया। वहीं उसे हटाने से पहले न तो उसे नोटिस जारी किया गया और ना ही सुनवाई का मौका दिया गया। इस पर श्रम न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए 9 सितंबर 2015 को प्रकरण में शंभू सिंह के पक्ष में अवार्ड जारी कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त श्रम आयुक्त को प्रकरण में पालना करने के आदेश दिए। इस पर परिवादी ने अदालत में परिवाद पेश कर कार्रवाई की गुहार की गई। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सितंबर 2017 में कंपनी के प्रबंध संचालक अनिल अंबानी के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। वहीं अब अदालत ने आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर तलब किया है।

'हाथ से हाथ जोड़ो' अभियान की बैठक 8 को

जयपुर, (का.प्र.)। अखिल भारतीय कांग्रेस संचालन समिति की 4 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार में 26 जनवरी से 2 माह तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने का कार्यक्रम निर्धारित हुआ। जिसकी तैयारियों हेतु 8 जनवरी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में एक अति-आवश्यक बैठक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के वार रूम 7, हॉस्पिटल रोड पर बुलाई गई है।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत 2 माह तक गांव, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर अभियान चलाया जाएगा, जिसकी तैयारी हेतु 8 जनवरी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम 7, हॉस्पिटल रोड पर दोपहर 3 बजे अति आवश्यक बैठक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत, भारत हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए नियुक्त प्रदेश प्रभारी आर सी खूँटिया सहित प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी तथा सभी अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष तथा अभियान हेतु नियुक्त जिला समन्वयक भाग लेंगे।

अब राज्य सरकार क्या न्यायालय को ''टोपी'' पहनाने का काम करेगी : मुख्य न्यायाधीश

- सरकार की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष लिए गए स्टैंड में बदलाव से ऐसा लगता है कि सरकार प्रभावशाली निजी लोगो को लाभ पहुंचने के लिए सरकारी भूमि को निजी सम्पति साबित करने पर तुली है और न्यायालय के समक्ष पूर्व में लिए रुख से पलटी खा रही है।
- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने न्यायालय को बताया कि भवानी मंडी स्थित 19 बीघा राजकीय भूमि को एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत भ्रष्ट तरीके से प्रभावशाली निजी व्यक्तियों के नाम भूरूपांतरण कर पट्टे जारी कर दिए गए जिस पर निर्माण कार्य की स्वीकृति भी जारी कर दी गयी।

जयपुर, (का.सं.)। सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष लिए गए स्टैंड पर बदलाव से नाराज मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल ने झालावाड़ में भवानी मंडी स्थित 19 बीघा से अधिक सरकारी भूमि के निजी लोगो के हक़ में भूरूपान्तरण के एक मामले में सरकार की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिपण्णी करते हुए कहा की सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष लिए गए स्टैंड में बदलाव से ऐसा लगता है की सरकार प्रभावशाली निजी लोगो को लाभ पहुंचने के लिए सरकारी भूमि को निजी सम्पति साबित करने पर तुली है और न्यायालय के समक्ष पूर्व में लिए रुख से पलटी खा रही है।

सरकार की पैरवी में पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता से मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा ''अब क्या राज्य सरकार न्यायालय को टोपी पहनाने का काम करेगी। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसा हुआ तो हम सरकार के मुख्य सचिव को न्यायालय में पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहेंगे।''

यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायिपति शुभा मेहता की खंडपीठ ने अविनाश जायसवाल व एक अन्य जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने न्यायालय को बताया कि भवानी मंडी स्थित 19 बीघा राजकीय भूमि को एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत भ्रष्ट तरीके से प्रभावशाली निजी व्यक्तियों के नाम भूरूपारंतरण कर पट्टे जारी कर दिए गए जिस पर निर्माण कार्य की स्वीकृति भी जारी कर दी गयी।

उन्होंने न्यायालय को बताया कि इससे पूर्व वर्ष 2014 में स्वयं राज्य सरकार और नगर परिषद भवानी मंडी ने न्यायालय में याचिका लगाकर भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भूमि की 90-बी कार्यवाही पर आपत्ति जताते हुए इसे अवैधानिक और भ्रष्ट आचरण बताया था तत्समय राज्य की भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार ने इस भूमि पर किसी भी निर्माण स्वीकृत जारी करने पर भी रोक लगा दी थी और भूमि को राज्य के नाम दर्ज कर लिया था। लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही नयी सरकार ने याचिका को वापिस ले लिया और सरकारी भूमि को निजी भूमि बता कर उस पर पट्टे और निर्माण स्वीकृति जारी कर दी जिसे जनहित याचिका में चुनौती दी गयी है।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता मेहता ने कहा की भूमि कभी भी राजकीय सम्पति नहीं थी और वर्ष 1932 में ही तत्कालीन निज़ामात महाराज राजेंद्र सिंह ने यह सम्पति तेल मिल लगने के लिए सेठ पेस्टोंन जी को बक्शीश में दी थी जिसे बाद में जयपुरिया ब्रदर्स नाम की कम्पनी ने खरीद कर लिया और 90-बी की कार्यवाही के लिए समर्पण करने पर उस पर पट्टे जारी किये गए है। निजी पट्टा धारको की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा की पट्टे और निर्माण स्वीकृति के बार न्यायालय ने एक अन्य जानहित याचिका में सुनवाई के दौरान मार्च, 2021 में याचिका के अध्यधीन निर्माण जारी रखने की अनुमति दी थी।

दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश में माना की पट्टा धारकों द्वारा भूमि या निर्मित प्लाटो का विक्रय किया जा सकता है ऐसे में न्यायालय ने सम्पूर्ण 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि में किस भी प्रकार की भूमि और प्लाट के खरीद.फरोख़्त पर रोक लगा दी और साथ ही स्पष्ट किया। की पूर्व आदेश के तथा यदि कोई निर्माण किये जाएंगे तो वह वैधानिक नहीं होंगे और यदि भूमि राजकीय पाई जाती है तो सम्पूर्ण निर्माण ध्वस्त किये जायेंगे जिसका कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा ना ही पूर्व अंतरिम आदेश से किस भी प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार ही पट्टाधारकों को प्राप्त होगा। न्यायलय ने प्रकरण फरवरी के प्रथम सप्ताह में निस्तारण हेतु सूचीबद्ध करने का भी आदेश दिया।

तरूण चुघ आज संबोधित करेंगे

जयपुर। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरूण चुघ प्रदेश में चल रहे जन आक्रोश महासभा अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को सांगानेर और विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्रों में महासभाओं को सम्बोधित करेंगे। इससे पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय पर तरूण चुघ 6 जनवरी को डाटा प्रबंधन विभाग की कार्यशाला को सम्बोधित करेंगे एवं प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर बैठक लेंगे।

जनाक्रोश महासभा के मंच पर महिला के नृत्य मामले में पूनिया ने मांगी रिपोर्ट

आयोजकों पर गिर सकती है गाज, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता का मामला बताया

जयपुर। राज्य की गहलोत सरकार के 4 साल के शासन के विरोध में प्रदेश भाजपा की ओर से सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनाक्रोश महासभा का आयोजन हो रहा है। इसी बीच अलवर के खेड़ली में भी जनाक्रोश महासभा के मंच पर एक महिला के अश्लील डांस का वीडियो जमकर वायरल होने के बाद जहां इस मामले को लेकर भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है तो पार्टी की भी किरकिरी हो रही है। महिला की अश्लील नृत्य का वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस मामले में सख्त रुख का अख्तियार कर लिया है। सतीश पूनिया ने अलवर दक्षिण के जिलाध्यक्ष इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है।

अलवर दक्षिण के जिलाध्यक्ष को लिखे पत्र में सतीश पूनिया ने लिखा कि खेड़ली कस्बे का एक प्रकरण उनके संज्ञान में आया जिसमें भाजपा जनाक्रोश महासभा के मंच पर एक महिला नृत्य करती हुई नजर आ रही है। इस कृत्य के माध्यम से पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। यह गंभीर अनुशासनहीनता का मामला है, जनाक्रोश महासभा के आयोजक कौन-कौन थे, किसके निर्देशन में यह हुआ है। पार्टी के मंचों पर इस प्रकार कृत्यों की कतई इजाजत नहीं है। इस पूरे प्रकरण की जानकारी शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए।

सूत्रों की माने तो प्रदेश भाजपा को रिपोर्ट मिलने के बाद जनाक्रोश महासभा के आयोजकों पर गाज गिर सकती है। इस प्रकरण से पार्टी के अंदर भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। सतीश पूनिया ने पत्र की प्रतिलिपि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और संभाग प्रभारी मदन दिलावर को भेजी है। सूत्रों की माने तो अलवर के खेड़ली में मंगलवार को जनाक्रोश महासभा के मंच पर एक महिला की ओर से नृत्य किया गया जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि महासभा मंच पर जब महिला की ओर से नृत्य किया उस दौरान भाजपा के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम कस्तुरी देवी से बदलकर कस्तुरी देवी यादव रख लिया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे। पताः कस्तुरी देवी यादव पत्नी मोहन लाल यादव, 210 अमर नगर-सी, खिरणी फाटक, खातीपुरा, जयपुर।

मैंने अपना नाम मलकीत सिंह बरार पुत्र कुलवंत सिंह से बदलकर मलकीत सिंह पुत्र कुलवंत सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे मलकीत सिंह के नाम से जाना जाये। पताः प्लाट नं. 63, फर्स्ट फ्लोर, श्याम भवन, विद्युत नगर-सी, वैशाली नगर, जयपुर।

मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी संख्या 195317520 में मेरा नाम कुमारी प्रिया शर्मा दर्ज है जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में श्वेता शर्मा हैं यह दोनों नाम मेरे ही हैं। श्वेता शर्मा पुत्री हरी प्रसाद शर्मा निवासी महेश नगर किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

I, No. 4286862H NK. Sudhir Kumar Mandal S/o Pandu Mandal R/o Nayatola, Sakrogarh, Sahibganj, Jharkhand, In Service record my Wife Name MOUSAMI MANDAL & D.O.B. 29.04.1994 is wrongly recorded. Correct Name MOUSUMI MANDAL & D.O.B. 02.05.1995 Vide affidavit dated 15.12.2022 Sahibganj.

I Inder Kanwar legally wedded spouse of army no 2883979F RFN/CK Lt Sh. Bhagwan Singh R/o 22 Defence Colony Gokulura Kalwar Road Jhotwara Jaipur that I have changed my son name from UPENDER SINGH (DOB 17 aug 1991) Daughter NIHERIKA (DOB 1 Nov 1988) is wrong entered in service record To UPENDER SINGH KHANGAROT (DOB 5.2.1992) & NIHARIKA KANWAR (DOB 1Nov 1990) vide affidavit dated 3 jan 2023 before district notary Jaipur.

I have changed my name from Salman Khan to Mohammad Salman Khan S/o Islam Khan for all purpose. 108 jirn mata ka khurra Ramganj chopar, Jaipur.

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 144/2022
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री अरूण कुमावत पुत्र श्री स्व. श्री पूरण चन्द कुमावत निवासी ए-1, कृष्णा नगर प्रथम, गांधी नगर मोड़, टोंक रोड, जयपुर 302015 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत शिक्षाविद श्री पूरण चन्द कुमावत मैमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट ए-1, कृष्णा नगर प्रथम, गांधीनगर मोड़, टोंक रोड, जयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांकः 30.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारी पेशी 02.03.2023
रतनलाल योगी (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
मोहर अदालत

वादपदों के स्थिरिकरण के लिए प्रतिवादी को सम्मन
(आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)
न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश महोदय जी प्रथम (1) उदयपुर
श्रीमती रेखा तँवर पत्नी श्री विजय प्रताप सिंह
बनाम
श्री विजय प्रताप सिंह प्रतिवादी
प्रेषित-वाद संख्या 561/2021 मु.दी. (38)
श्री विजय प्रताप सिंह भाटी S/o श्री प्रेम सिंह
मकान नं. 23 (ई) प्रताप नगर, जयपुर (राज.)
चूंकि प्रार्थीया ने आपके विरूद्ध 13-ए, हिन्दु विवाह अधिनियम के लिए एक वाद संस्थिति किया है। अतः आपको एतद् द्वारा आहूत किया जाता है कि आप या तो स्वयम् ऐसे या अभिवक्ता जो कि सम्यकरूपेण अनुदिष्ट हो व वाद सम्बन्धी सर्व सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो के द्वारा दिनांक 10.01.2023 के दिवस को 10 A.M. बजे दावे का उत्तर देने हेतु इस न्यायालय में उपस्थिति हो और आगे आपके एतद द्वारा यह भी निर्देश दिया जाता है कि उस दिन आप अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन पेश करे और उसी दिन वे सब प्रलेख जो आपके अधिपत्य या अधिकार में हो व जिन पर आप अपना प्रतिरक्षा या प्रतिपादन या प्रतिदावा आधारित करते हो, भी प्रस्तुत करें तथा जहां आप किसी अन्य प्रलेख जो आपके अधिपात्य या अधिकार में हो या नहीं हो पर अपनी प्रतिरक्षा या प्रतिपादन या प्रतिदावा के समर्थ में साक्ष्य के रूप में भरोसा रखते हो, उन प्रलेखों को अपने लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करे।
सूचित रहें कि पूर्ण वर्णित दिवस को आपके द्वारा अपनी उपस्थिति में व्यक्तिक्रम होने पर कथित वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना व अवधारित किया जावेगा।
आज दिनांक 4.1.2023 को हस्ताक्षर कर न्यायालय की मुद्रा के अधनी जारी किया गया।
आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम
पारिवारिक न्यायालय नं. 1
उदयपुर (राज.)
मोहर अदालत

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाव्यगण (1) जब्बार खान पुत्र बशीर खान आयु-56 वर्ष, (2) परवीन बेगम पत्नी श्री जब्बार खान आयु-52 वर्ष, निवासीयान:-प्लाट नम्बर-2 मतदाता नगर, जयपुर, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर (राजस्थान) ने अपने पुत्र मोहम्मद आमिर खान को अपनी समस्त चल व अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है। मेरे अभिभाव्य का पुत्र मोहम्मद आमिर खान आये दिन मेरे अभिभाव्य से लड़ाई-झगड़ा करता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है एव हैरान परेशान करता है एवं मेरे अभिभाव्य के कहने में नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था हत्यादि मोहम्मद आमिर खान से किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार, लेन-देन करेगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। मेरे अभिभाव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित रहे।
जयपुर (मोहम्मद शरीफ) एडवोकेट
दिनांक-5.1.2023 मो.-9887188430

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्लाट न, बी-21, रोशन नगर-बी, सिरसी रोड़, जयपुर क्षेत्रफल 166.66 वर्ग गज को श्रीमती मनकोरी पत्नी श्री हीरा लाल ने श्री महावीर सिंह बहेसियत मुख्तयारआम श्री अनिल कुमार शर्मा से जरिये विक्रय - पत्र दिनांक 22.06.2009 को क्रय किया था । यह कि श्रीमती मनकोरी का स्वर्गवास दिनांक 26.03.2013 को एवं उनके पति श्री हीरा लाल का स्वर्गवास दिनांक 13.12.2019 को हो गया । उनके स्वर्गवास पश्चात् इनके वारिसान/ उत्तराधिकारी श्रीमती संतोष देवी एवं श्रीमती चन्द्रकला (पुत्रीयॉ) संयुक्त ने उक्त प्लाट में निहित अपना 2/3 अविभाजित हिस्सा अपने भ्राता सहहिस्सेदार श्री दयानन्द ढ़ाका को जरिये हक - त्याग पत्र दिनांक 07.10.2022 को त्याग कर दिया । सम्पत्ति मालिक श्री दयानन्द ढाका ने उक्त प्लाट को विक्रय करने का इकरार श्रीमती सुमन मिर्धा पत्नी श्री महेन्द्र मिर्धा से किया है जिसकी खरीद हेतु श्रीमती सुमन मिर्धा ने ऋण के लिए HDFC Ltd. में आवेदन किया हैं। उक्त सम्पत्ति के बाबत् स्व. श्रीमती मनकोरी पत्नी श्री हीरा लाल के उत्तराधिकारी की हैसियत से किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति, संस्था, जनसाधारण आदि को कोई भी आपत्ति हो तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उक्त सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस में अपना अधिकार या हक मय दस्तावेज प्रस्तुत करे, अन्यथा HDFC Ltd. द्वारा उक्त सम्पत्ति को रहन कर लिया जावेगा एवम् उसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार मान्य नहीं होगा । (पीयूष भार्गव एडवोकेट)
दिनांक 04.01.2023 6, रघुकमल विवास, गणपति प्लाजा के सामने, एम. आई. रोड़, जयपुर, फोन नम्बर 0141-4112154

खोया पाया

में बजरंग लाल मिश्रा का JDA की कॉलोनी UDN है जिसका आवन्टन पत्र, कब्जा पत्र व अन्य मकान सम्बन्धित कागजात खो गये हैं। मिलने पर सम्पर्क करे। B-310 विद्याधर नगर मो. 9602816502

मैं दीपेन्द्र सिंह के नाम से बना आईडी कार्ड नंबर 2224893 आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक का कहीं खो गया है अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो कृपया मोबाइल नंबर 9057570183 पर सूचित करें, सूचनाकर्ता विनोद कच्छावा